

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रशासन मंत्रालय के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान.....

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व मू.अ.नि.
..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील जिला
की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	अदडाफिका	114	डेवा पुत्र भवा वजारा	डेवीलाल पुत्र भवा वजारा

()
सहायकी न्यायाधीश
(उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर)
रेलमगरा

क्रमांक :- 1/राजस्व/2025/14

दिनांक :- 29/1/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

()
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
रेलमगरा

Revenue Rajsathan

bajranglal.ilr@gmail.com; viral9099@gmail.com